न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 12/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री श्रीराम दुधवाल

पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट न. 203 एवं 204, द्वितीय तल 'A' wing, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड़ सेवरी वेस्ट, मुम्बई महाराष्ट्र–400015।

शाखा कार्यालयः– प्रथम तल, मरूधर प्लाजा एफ–300 श्याम नगर न्यू सांगानेर रोड़ मेट्रो पिल्लर न. 102 के सामने सोडाला जयपुर राज.।

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **जाहिद खान पुत्र अब्दुल रज्जाक खान**
   प्रथम पताः– गणगौरी चोक वार्ड सं. 10 मुंडरू स्कूल सीकर राज. 332712
   कार्यालय पताः– मुंडरू श्री माधोपुर रोड सीधी विनायक कॉलेज के पास, सीकर राज. 332712 ।
   संपति पताः–प्लॉट संख्या का उतरी भाग 102, बालाजी विहार, खसरा संख्या 2777, 2791, 2781/2, 2779/2 ग्राम मुंडरू तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज.
2. **रूकया बानो पत्नी जाहिद खान**
   प्रथम पताः– गणगौरी चोक वार्ड सं. 10 मुंडरू स्कूल सीकर राज. 332712
   संपति पताः–प्लॉट संख्या का उतरी भाग 102, बालाजी विहार, खसरा संख्या 2777, 2791, 2781/2, 2779/2 ग्राम मुंडरू तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज
3. **विनोद कुमार सैनी** निवासी वार्ड न. 03, शवाला कुवा, मुंडरू श्री माधोपुर सीकर राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 09 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **जाहिद खान पुत्र अब्दुल रज्जाक**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

खान, रूकया बानो पत्नी जाहिद खान व विनोद कुमार सैनी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 102 का उतरी भाग, बालाजी विहार, खसरा संख्या 2777, 2791, 2781/2, 2779/2 ग्राम मुंडरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.** स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में प्लॉट न. 101, दक्षिण दिशा में प्लॉट न. 102, पूरब दिशा में अन्य भूमि व पश्चिम दिशा में 20 फीट चौड़ी सड़क है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹9,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये नौ लाख) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **जाहिद खान पुत्र अब्दुल रज्जाक खान, रूकया बानो पत्नी जाहिद खान व विनोद कुमार सैनी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 102 का उतरी भाग, बालाजी विहार, खसरा संख्या 2777, 2791, 2781/2, 2779/2** ग्राम मुंडरू तहसील

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में प्लॉट न. 101, दक्षिण दिशा में प्लॉट न. 102, पूरब दिशा में अन्य भूमि व पश्चिम दिशा में 20 फीट चौड़ी सड़क है उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **09 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर